11/23 18/11/23 21/11/23 23/11/23

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय, धालभूम, जमशेदपुर।

मिसकेस संख्या –12/2023–2024

अंतिम आदेश

11/11/23

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख के साथ प्रस्तुत आवेदन शपथ पत्र अंचलाधिकारी मानगो के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा तथा अन्य कागजातों के अवलोकन एवं साक्ष्यों के आधार पर अन्तरण की पूर्वानुमति के लिए अपेक्षित निम्नांकित शर्तें विद्यमान हैः–

1. विक्रेता प्रसंगाधीन जमीन के अधिभोग(occupancy)रैयत है।
2. विक्रेता और क्रेता दोनों ही अनुसूचित जनजाति के सदस्य है। (जाति प्रमाण पत्र संलग्न)
3. क्रेता एवं विक्रेता दोनो ही एक ही थाना के निवासी है, जिस थाने के क्षेत्राधिकार में प्रसंगाधीन जमीन अवस्थित है। (निवास प्रमाण पत्र संलग्न)
4. प्रस्तावित अन्तरण के विरूद्ध कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 46 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(1) द्वितीय परन्तुक (क) के अन्तर्गत विक्रेता :– चिगरन समद उर्फ चिगराम समद, पिता– मानिक समद उर्फ मानकी समद, जाति– हो, ग्राम–रोड़ नं०–5 गडरूवासा, शंकोसाई डिमना मानगो, अंचल– मानगो, थाना–उलिडीह, जिला–पूर्वी सिंहभूम को मूल्य –14,00,000/–रूपये या जिला निबंधक द्वारा निर्धारित मूल्य में से जो है अधिक है, की दर से क्रेता :– पंकरासीया कच्छप, पति–ओसविन कुमार मिंज, जाति–उरांव, ग्राम– रोड़ नं०–5 गडरूवासा, शंकोसाई डिमना मानगो, अंचल– मानगो, थाना–उलिडीह, जिला– पूर्वी सिंहभूम के नाम विक्री हेतु निम्नांकित जमीन,

मौजा	वार्ड सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	
अ0 क्षे0 स0 मानगो	09	415	2019	6.60 डी0 या 4 कट्ठा	

के प्रस्तावित अंतरण की पूर्वानुमति दी जाती है।

लेखापित

11/11/23

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
धालभूम, जमशेदपुर।

पढ़ा एवं संशोधन किया
प्रदीप तिर्की
21/11/23

मूल्य दिया
21/11/23
तुलना लिपिक

तुलना किया
21/11/23
तुलना लिपिक

सच्ची प्रतिलिपि प्रमाणित
21/11/2023
प्रधान लिपिक
अनुमण्डलीय कार्यालय धालभूम, जमशेदपुर
धारा 76 एक्ट 1 ऑफ 1872 के अन्तर्गत प्रमाणित